न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2016

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 36/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–कमला देवी पत्नी उदयराम जाति बलाई निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1–केला पिता भुरा जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–शम्भु पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3– चुना पिता प्रताप जाति बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

4–अर्जुन पिता रामा बलाई निवासी झडोल (खेडिया) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 02.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 172 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 175 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 234 रकबा 0.13 है0, जो खाता संख्या 79 पर दर्ज रिकार्ड है कुल किता 3 कुले रकबा 0.83 है0 अन्य आराजी के साथ स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से पक्षकारान के दरम्यान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते है। तथा प्रार्थीया को घास आदि काटने में ,फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षी को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थीया ने दिनांक 25.04.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थीया की आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 09.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के

प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य् है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 172 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 175 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 234 रकबा 0.13 है0, जो खाता संख्या 79 पर दर्ज रिकार्ड है कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 अन्य आराजी के साथ स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्राथीर्या इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 400/– अक्षरे चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा